न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)

धारा 144 द0प्र0सं

वाद संख्या 103/2023-24

प्रथम पक्ष .... सुधीर गोप ....

बनाम

द्वितीय पक्ष .... प्रदीप कुमार यादव ......

आदेश की क्र0 सं0 एवं तिथि	दण्डाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई टिप्पणी एवं तिथि
	थाना बसिया के अप्राथमिकी संख्या 07/2023 दिनांक 16.12.2023 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि **प्रथम पक्ष** :– सुधीर गोप उम्र 55 वर्ष, पिता– स्व0 सोमरा गोप, ग्राम:– गोजाबनटोली, थाना– पालकोट, जिला– गुमला **बनाम द्वितीय पक्ष** :– प्रदीप कुमार यादव, पिता– स्व0 सोमरा गोप ग्राम– मोहरी कॉलोनी, भागीडेरा, थाना– बसिया, जिला–गुमला के बीच मौजा– भागीडेरा, थाना– बसिया के खाता स0 22 प्लॉट सं0 279 रकबा 0.20 भूमि पर दोनों पक्षों के बीच विवाद है। जिसको लेकर आपसी उभय पक्षों के बीच शांति एवं विधि व्यवस्था भंग होने की सम्भावना हो सकती है। उभय पक्ष नोटिस प्राप्त कर न्यायालय में उपस्थित हुए :– उक्त वाद की कार्रवाई के दौरान उभय पक्ष के बीच किसी प्रकार से शांति भंग होने संबंधी सूचना थाना प्रभारी बसिया या अन्य स्रोत से अप्राप्त है। उक्त वाद की समय अवधि समाप्त हो चुकी है। अतः उभय पक्षों की बीच उक्त वाद की कार्रवाई के समयावधि में किसी प्रकार का शांति भंग होने की सूचना अप्राप्त है एवं वाद की कार्रवाई की समयअवधि समाप्त होने के कारण उक्त वाद की कार्रवाई बिना गुण दोष के समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित। 1/3/24 अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला) 1/3/24 अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)	

Digitally signed by JAIWANTI DEOGAM
Date: 2024.07.03 14:31:27 +05:30
Location: 192.168.1.3